



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 9-2023/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, JANUARY 12, 2023 (PAUSA 22, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 12 जनवरी, 2023

संख्या 04/जीएसटी-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप-धारा (3) और (4), धारा 11 की उप-धारा (1) और (3), धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 47/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

1. हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 47/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में,-

(i) क्रम संख्या 12 के सामने, खाना (3) के नीचे, प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित व्याख्या रखी जाएगी, अर्थात्:-

“व्याख्या:- इस प्रविष्टि के तहत छूट के प्रयोजन के लिए, एक पंजीकृत व्यक्ति को रिहायशी आवास किराए पर देने के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं शामिल होंगी जहाँ कि-

(i) ऐसा पंजीकृत व्यक्ति, जो स्वत्वधारी समुत्थान का स्वत्वधारी है और किसी रिहायशी आवास को अपनी व्यक्तिगत क्षमता में अपने निवास के रूप में उपयोग करने के लिए किराए पर लेता है; और

(ii) इस तरह का किराया उसके अपने खाते पर है और जिसका स्वत्वधारी समुत्थान का कोई संबंध नहीं है।”;

(ii) क्रम संख्या 23क और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना प्रथम जनवरी, 2023 से लागू हुई समझी जाएगी।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 12th January, 2023

No. 04/GST-2.— In exercise of the powers conferred by Sub-sections (3) and (4) of Section 9, Sub-section (1) and (3) of Section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 47/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 47/ST-2, dated the 30th June, 2017,-

(i) against serial number 12, under column (3), the following explanation shall be inserted, namely:-

“Explanation.- For the purpose of exemption under this entry, this entry shall cover services by way of renting of residential dwelling to a registered person where, –

- (i) the registered person is proprietor of a proprietorship concern and rents the residential dwelling in his personal capacity for use as his own residence and;
- (ii) such renting is on his own account and not that of the proprietorship concern.”;
- (ii) serial number 23A and the entries thereagainst shall be omitted.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 1st January, 2023.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.